फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
रावतपुरी
बनाम
चिमनाराम इत्यादि
किस्म मुकदमा....223 आर.टी.एक्ट न.26 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2026	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर का पद रिक्त होने से पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री बी.आर. चौधरी उपस्थित। अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2025 अनवान चिमनाराम व अन्य बनाम भगतपुरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 नवंबर 2025 के विरूद्ध पेश हुई। अपील नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 128 रकबा 8.8788 हैक्टेयर ग्राम भीमथल तहसील धोरीमन्ना अपीलांट की सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी से किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई है तथा बिना साक्ष्य के ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के खाते को अलग किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा फोन पर विभाजन प्रस्ताव करने की जानकारी दिये जाने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक–हकुक संशयप्रद लगने पर अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करनी पड़ी है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2025 को निरस्त किया जावे एवं विधिनुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं उसके हक–हिस्से की भूमि का खाता अलग किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किये जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.20255 के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 128 रकबा8.8788 हैक्टेयर ग्राम भीमथल तहसील धोरीमन्ना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रत्येक पक्षकार की जोत तक रास्ते का प्रावधान रखते हुए खाता अलग करने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज रकबे में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा इस बाबत कोई कथन किये गये है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके खाते को अलग किये जाने आदेश नहीं दिया गया है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से साबित है	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् के खाते पृथक किये जाने का आदेश दिया गया है। फिर भी अपीलांट के उक्त उज्र के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त विधिनुसार अपीलांट सहित सभी पक्षकारान् की जोत का विभाजन करते हुए पृथक से खाते कायम करे तथा प्रत्येक जोत तक आवागनमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार का अंतिम निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर